

अरावली भूमि अधिग्रहण पर NGT ने मांगा जवाब

चर्चा में क्यों?

राष्ट्रीय हरति अधिग्रहण (National Green Tribunal- NGT) ने अरावली में 180 पेटों को अवैध रूप से काटने और अपशष्टि प्रसंस्करण संयंत्र का वसुतार करने के लयि वन वभिग की भूमि पर अतकिरण करने के आरोप में फरीदाबाद नगर नगिम को नोटिस जारी किया है।

मुख्य बदि:

- आरोपों की जाँच के लयि ट्रिब्यूनल/अधिग्रहण द्वारा नयुक्त समतिने अपनी रिपोर्ट सौप दी है। रिपोर्ट में नगिम द्वारा कयि गए उल्लंघनों को उजागर किया गया है।
- यह वविद प्रतापगढ़ गाँव में 50 एकड़ भूमि को लेकर है। हालाँकि इस भूमि में से 47 एकड़ भूमि नगर नकियाय के पास है, शेष अभी भी वन और स्वास्थय वभिग के पास है।
- **NGT** पैनल की सफिरशि:
 - नगर नकियाय को साइट पर परचालन शुरू करने से पहले हरयाणा प्रदूषण बोर्ड से अनुमति लेनी होगी।
 - उन्हें एक लीचेट उपचार संयंत्र भी स्थापति करना होगा और आस-पास के क्षेत्र में एक हरति क्षेत्र बनाना होगा जो अरावली तथा अपशष्टि प्रसंस्करण इकाई के बीच एक बफर ज़ोन के रूप में कार्य करेगा।

राष्ट्रीय हरति अधिग्रहण (National Green Tribunal- NGT)

- यह पर्यावरण संरक्षण एवं वनों और अन्य प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से संबंधति मामलों के प्रभावी व शीघ्र नपिटान के लयि राष्ट्रीय हरति अधिग्रहण अधिनियम (वर्ष 2010) के तहत स्थापति एक वशिष नकियाय है।
- NGT की स्थापना के साथ, भारत ऑस्ट्रेलया व न्यूजीलैंड के बाद एक वशिष पर्यावरण अधिग्रहण स्थापति करने वाला वशिष का तीसरा देश बन गया और ऐसा करने वाला पहला वकिसशील देश बन गया।
- NGT को आवेदन या अपील दायर करने के 6 महीने के भीतर अंतमि रूप से नपिटान करने का आदेश दिया गया है।
- **NGT** की बैठक के 5 स्थान हैं, नई दलिली बैठक का प्रमुख स्थान है और भोपाल, पुणे, कोलकाता व चेन्नई अन्य चार हैं।